



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 05.11.2022

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली एवं एसओजी शामली की संयुक्त कार्यवाही में अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 02 सदस्य/चोर किये गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिल एवं अवैध चाकू बरामद:-

दिनांक 04.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली व एसओजी शामली की संयुक्त कार्यवाही में चैकिंग के दौरान 02 अन्तर्राज्यीय वाहन चोरों को चोरी की 10 मोटरसाइकिलों व अवैध 02 चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का एक साथी रामसेवक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कोतवाली शामली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

पूछताछ विवरण का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों हमारे तीसरा साथी रामसेवक उर्फ बबलू पुत्र ज्ञाना बावरिया निवासी खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश व सीमावर्ती राज्य हरियाणा के विभिन्न जनपदों में घूम-घूम कर रैकी करते हैं तथा खड़ी मोटरसाइकिलों को मास्टर-की से लॉक खोलकर चोरी कर लेते हैं तथा इन्हे गुप्त स्थान पर छिपा देते हैं तथा धीरे धीरे समय मिलने पर राह चलते कबाड़ियों व ग्राहकों को बेच देते हैं, जो भी पैसा मिलता है उसे हम बराबर-बराबर बांट लेते हैं। बरामद मोटरसाइकिलों में से 02 मोटरसाइकिल थाना कोतवाली शामली क्षेत्र से, 01 मोटरसाइकिल थाना झिंझाना क्षेत्र से तथा 01 मोटरसाइकिल थाना कैराना क्षेत्र से, 01 करनाल व 01 पानीपत से तथा शेष अन्य 04 मोटरसाइकिलें हमने जनपद मु0नगर व अन्य अलग-अलग स्थानों से चोरी की थी। हम लोग चाकू अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे, ताकि पकड़े जाने पर लोगों को चाकू दिखाकर, डराकर अपना बचाव कर मौके से भाग सकें।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अजय सिंह पुत्र बबलू कश्यप नि0 मालेण्डी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।
2. जोगेन्द्र पुत्र बाबूराम बावरिया नि0 डेरा भागीरथ थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 02 चाकू।
2. मो0सा0 स्पे0 प्लस- चैसिस नं0 MBLHA10EZAHL58841 व इंजन नं0 HA10EFAHL93003 अंकित है। उक्त बरामदा मोटर साइकिल मु0अ0सं0 493/22 धारा 379/411 भादवि सही रजिस्ट्रेशन नं0 UP 12 W 9951 है।
3. सिल्वर रंग की मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्लस नं0 UP 19 K 2460 का भौतिक निरीक्षण किया गया तो उक्त मोटर साइकिल का चैसिस नं0 MBLHAR077JHH26543 व इंजन नं0 HA10AGJHH40399 अंकित है। (मु0अ0सं0 613/22 धारा 379/411 भादवि थाना कैराना शामली से चोरी)।
4. बिना नम्बर प्लेट की मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्लस रंग काला चैसिस नं0 MBLHAR079HHL00070 तथा इंजन नं0 HA10AGHHK57322- (थाना झिंझाना से चोरी मु0अ0सं0 461/21 धारा 379/411 भादवि थाना झिंझाना)।
5. मो0सं0 नं0 HR 06 AM 1415 स्पलैण्डर प्लस रंग काला चैसिस नं0 MBLHA717XHHD05316 तथा इंजन नं0 HA10AFHHD02396 (चाँदनी बाग पानीपत से चोरी करना बताया)।

6.मो0सा0 बिना नम्बर प्लेट स्पलैण्डर प्लस रंग काला चैसिस नं

0 MBLHAR079HHL07049 तथा इंजन नं 0

HA10AGHHL07326 (सिटी करनाल हरियाणा से चोरी करना बताया) ।

7.मो0सा0 नं0 UP 12 P 8662 स्पलैण्डर प्लस रंग काला चैसिस नं0 अपठनीय है तथा इंजन नं0 HA10EFB9J00235 ।

8.मो0सा0 नं0 HR 07 F 5448 चैसिस नं 0 02M20C0058 इसके बाद पढा नहीं जा सका तथा इंजन नं 0 02L18132854 स्पलैण्डर रंग काला टंकी पर लाल-नीली पट्टी ।

9.मो0सा0 हीरो होण्डा पेशन प्लस बिना नम्बर प्लेट रंग काला लाल-सफेद पट्टी चैसिस नं

0 07J05C23334 इंजन नं 0

HA10EDBHE36186 ।

10.मो0सा0 नं 0 UP 19 D 1067 हीरो सुपर स्पलैण्डर रंग काला सफेद-स्लेटी पट्टी जिसपर चैसिस नं

0

MBLJA05EMG9A26731 व इंजन नं0 JA05ECG9A25105 अंकित है ।

11.मो0सा0 नं0 UP 15 X 1208 बजाज डिस्कवर रंग काला बैंगनी-स्लेटी पट्टी जिसके दोनों पहिये नहीं है जिस पर चैसिस नं0 DSVBMG96836 व इंजन नं0 DSGBMG18836 ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जोगेन्द्र उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 461/21 धारा 379/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिल ।

2.मु0अ0सं0 37/22 धारा 60 आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि थाना झिंझाना शामिल (बनाम जोगेन्द्र)

3.मु0अ0सं0 493/22 धारा 379/411/420/465 भादवि थाना को0 शामिल जनपद शामिल ।

4.मु0अ0सं0 551/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 शामिल जनपद शामिल -(बनाम जोगेन्द्र)

5.मु0अ0सं0 552/22 धारा 414 भादवि थाना को0 शामिल जनपद शामिल

6.मु0अ0सं0 613/22 धारा 379/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामिल ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 461/21 धारा 379/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिल ।

2.मु0अ0सं0 493/22 धारा 379/411/420/465 भादवि थाना को0 शामिल जनपद शामिल ।

3.मु0अ0सं0 550/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 शामिल जनपद शामिल । (बनाम अजय)

4.मु0अ0सं0 552/22 धारा 414 भादवि थाना को0 शामिल जनपद शामिल

5.मु0अ0सं0 613/22 धारा 379/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामिल ।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 03 अभियुक्त किये गिरफ्तार , घटना मे प्रयुक्त अवैध हथियार व मोटरसाइकिल बरामद ।

आज दिनांक 05.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिनके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त अवैध हथियार व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

विदित हो कि दिनांक 04.11.2022 को श्री आदित्य मलिक पुत्र संजय मलिक निवासी ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा अभियुक्त विशाल उर्फ भूरा, वंश व आदित्य द्वारा उसके उपर जान से मारने की नियत से घर के बाहर फायरिंग करने के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. विशाल पुत्र चमन सिंह निवासी पट्टी सुढान ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. आदित्य मलिक पुत्र सहदेव निवासी पट्टी भित्तरवाल ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3. वंश मलिक पुत्र धर्मवीर निवासी पट्टी सुढान ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी:-

1. घटना मे प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
2. 02 अवैध चाकू।
3. घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल होण्डा साइन नम्बर यूपी-19डी-1925।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 05.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये वांछित /वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

विदित हो कि दिनांक 25.07.2022 को वादी द्वारा उसके भाई इरफान पुत्र लतीफ को गिरफ्तार 04 अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने के संबंध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सादिक पुत्र सईद निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली
2. काला उर्फ गुलशेर पुत्र शाहदीन निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली
3. जिन्दाहसन पुत्र शरीफ निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली
4. आबिद पुत्र शकील निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली



थाना कैराना पुलिस द्वारा 03 गौतस्कर गिरफ्तार, 04 जिन्दा बछिया व कटान करने के उपकरण बरामद:-

आज दिनांक 05.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये गौतस्करी मे लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस में सूचना पर 04 जिन्दा बछिया व कटान करने के उपकरणों सहित 03 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.अय्यूब पुत्र करीमूद्दीन निवासी ग्राम बधुपुरा थाना कैराना जनपद शामली।
2. राकिब पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम बधुपुरा थाना कैराना जनपद शामली।
3. आशिक पुत्र नेकीराम निवासी ग्राम बधुपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. 04 जिन्दा गौवंश बछिया।
2. कटान करने के उपकरण 01 प्लास्टिक का कट्टा जिसमे 04 रस्सी, 02 लकड़ी के गुटखे, 02 कुल्हाड़ी, 06 छुरी, एक तराजू, 02 किलो का बाट व एक 01 कि0ग्राम का बाट।

